

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/47/2026-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 30 सितंबर, 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी- AD/OI/050/2026

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पर्सलफेट्स” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 6/47/2026-DGTR:** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, कैलिबर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और UI-VR प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद “आवेदकगण” अथवा “घरेलू उद्योग” कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पर्सलफेट्स” (जिन्हें इसके बाद “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।
2. आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को सारवान क्षति पहुंचा रहे हैं और उन्होंने संबद्ध देशके मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (PUC)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'पेरॉक्सोसल्फेट्स' है, जिसे 'पर्सल्फेट्स' के नाम से भी जाना जाता है। पर्सल्फेट्स परस्पर निकटता से संबंधित यौगिकों का एक समूह है, जिनका उत्पादन क्षार धातु लवणों के रूप में किया जाता है। इनमें अमोनियम पर्सल्फेट (APS), पोटैशियम पर्सल्फेट (PPS) और सोडियम पर्सल्फेट (SPS) शामिल हैं।
4. उपर्युक्त पर्सल्फेट्स के रासायनिक सूत्र क्रमशः $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ और $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ हैं। तीनों प्रकार के पर्सल्फेट्स का वस्त्र और रासायनिक उद्योगों में प्रारंभक और ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में समान अंतिम उपयोग होता है। तीनों लवण एक ही उत्पाद हैं, जिनका स्वरूप 'सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण' जैसा है; वे शुष्क तथा जल में घुलनशील हैं, धीरे-धीरे अपघटित होते हैं और नमी अवशोषित करते समय ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।
5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।
6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत उपशीर्ष 2833 40 00 में वर्गीकृत है। तथापि, उत्पाद का आयात 2833 29 90 के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जांच के दायरे पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।
7. आवेदकगण ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आने वाले तीन प्रकार के पर्सल्फेट्स लागत और कीमत के संदर्भ में भिन्न हैं और उन्हें अलग-अलग PCN माना जा सकता है। तदनुसार, निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) पद्धति प्रस्तावित की गई है:

पर्सल्फेट का प्रकार	कोड
अमोनियम पर्सल्फेट	APS
पोटैशियम पर्सल्फेट	PPS
सोडियम पर्सल्फेट	SPS

8. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे और PCN पद्धति पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव, यदि कोई हों, उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से

15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।

ख. समान वस्तु

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यो एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय है। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान “समान वस्तु” माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि (POI)

11. आवेदकगण ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

ङ. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

12. आवेदन कैलिबर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और UI-VR प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकगण के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य ज्ञात उत्पादक योयो केमिकल्स, अमिनीशा ऑर्गेनिक्स LLP, गुजरात पर्साल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एना इंडस्ट्रीज हैं। आवेदकगण ने प्रस्तुत किया है कि गुजरात पर्साल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एना इंडस्ट्रीज

ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है। योयो केमिकल्स और अमिनीशा ऑर्गेनिक्स LLP ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है।

13. आवेदकगण ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशसे संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। आवेदकगण की संबद्ध देशमें संबंधित इकाइयां हैं। तथापि, इन संबंधित इकाइयों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात नहीं किया। इसके अतिरिक्त, UI-VR ने जर्मनी में अपनी संबंधित इकाई से संबद्ध वस्तु के आयात की नगण्य मात्रा आयात की।
14. यह देखा गया है कि दोनों आवेदकगण ने पुनर्विक्रय के लिए घरेलू बाजार से संबद्ध वस्तु की कुछ मात्रा भी खरीदी है, जिसमें संबद्ध देशसे व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तु भी शामिल है। UI-VR ने अपनी विनिर्माण गतिविधियां प्रभावित होने पर अपने मौजूदा ग्राहकों को आपूर्ति बनाए रखने के लिए ये खरीद कीं। कैलिबर केमिकल्स ने ऐसी खरीद उस अवधि के दौरान की जब APS और SPS के लिए उसकी उत्पादन सुविधाएं अपने मौजूदा ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने से संबंधित थीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये खरीद भारत की मांग और आवेदकगण के अपने उत्पादन की तुलना में कम थीं। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि ये संबंध और घरेलू खरीद आवेदकगण को घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए अपात्र नहीं बनाते हैं।
15. आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकगण का प्रमुख अनुपात है। तदनुसार, आवेदकगण प्रथम दृष्टया पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग हैं और आवेदन उक्त नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदकगण ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदकगण ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और

कहा है कि चीनी उत्पादकों को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदकगण ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।

17. आवेदकगण ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने विश्व स्तर पर उत्पादकों द्वारा उत्पाद बेचे जाने की कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया। आवेदकगण ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, में उपभोग कीमत के आधार पर करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजनार्थ, आवेदकगण ने UI-VR प्राइवेट लिमिटेड द्वारा APS और SPS तथा कैलिबर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा PPS के अमेरिका स्थित उनकी संबंधित इकाइयों को किए गए निर्यातों की कीमतों पर विचार किया है। आवेदकगण ने प्रस्तुत किया है कि ये निर्यात लाभकारी कीमतों पर किए गए थे और तदनुसार इन्हें अमेरिका में उपभोग कीमत माना है। हितबद्ध पक्षकार आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसमें भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

ग. चीन के लिए निर्यात कीमत

18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सी आई एफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और हैंडलिंग प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

घ. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि उल्लेखनीय भी है। इस प्रकार,

इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

20. आवेदकगण ने पाटित आयातों के कारण उन्हें हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। आयातों में वृद्धि के साथ आयात कीमत में तीव्र गिरावट हुई। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर हैं और घरेलू बाजार में कीमत दमन उत्पन्न कर रहे हैं। क्षमता में वृद्धि और देश में पर्याप्त मांग के बावजूद, पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आवेदकगण उत्पादन और घरेलू बिक्री में अनुरूप वृद्धि प्राप्त नहीं कर सके। आवेदकगण ने आगे दावा किया है कि संबद्ध वस्तु की मौजूदगी के कारण लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकद लाभ के संबंध में उनका निष्पादन खराब हुआ है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप आवेदकगण को हुई परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

22. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

23. वर्तमान जांच के लिए समस्त सूचना, प्रश्नावलियां और प्रस्तुतियां इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर की जानी चाहिए। प्राधिकारी ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर सकते हैं।
24. जांच में भाग लेने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setudgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण में किसी कठिनाई की स्थिति में, <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk> पर उपलब्ध विवरण के माध्यम से डी जी टी आर के सेतु हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संगत सेतु आईडी AD/OI/050/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर की जानी चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रस्तुतियों का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य पी डी एफ /एम एस वर्ड प्रारूप में दायर किया जाए, जबकि डेटा फाइलें उचित रूप से लिंक की गई गणनाओं के साथ एम एस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएं।
25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशकी सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
26. जांच में हित रखने वाले पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर/प्रस्तुतियां दायर करें।
27. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतियां कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ साथ-साथ दायर करना आवश्यक है। अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए।

28. हितबद्ध पक्षकारों को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) को नियमित रूप से देखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पी सी एन पद्धति, पी सी एन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणाम और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डी जी टी आर की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/050/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ, उन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत की सूचना, जिसमें सूचना और अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं, संप्रेषित किए जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
31. पी यू सी /पी सी एन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
32. पी यू सी /पी सी एन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पी यू सी और पी सी एन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया

जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पी यू सी और पी सी एन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पी यू सी और पी सी एन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

33. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उपर्युक्त मूल समय सीमा से कम से कम 1 दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

34. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
35. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ मूलतः गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
37. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः

गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
39. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्त्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
40. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों से संबंधित मुद्दों पर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
41. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

Digitally signed by

Amitabh Kumar

Date: 30-09-2026

13:39:42

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी